



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247632
CG-DL-E-26072023-247632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431]
No. 431]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 06/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 537 (अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, आइटम (ie) में, कॉलम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात्: -

"व्याख्या -यह मद तालिका के क्रम संख्या 3 के विरुद्ध मद (iv), (v) और (vi) के उन उप-मदों को वैसे संदर्भित करता है जैसे अधिसूचना संख्या 03/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से निरस्त होने से पहले अधिसूचना में मौजूद थे।";

(ii) क्रम संख्या 9 के सामने, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, कॉलम (5) के अंतर्गत प्रविष्टियों में, शर्त (2) में, -

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों " उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक", के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) चौथे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते यह भी कि जीटीए द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया विकल्प अगले और भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि जीटीए अनुबंध VI में रिवर्स चार्ज मकैनैज्म के तहत वापसी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है।";

(iii) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण के खंड (i) में उप-खंड (ज) को हटा दिया जाएगा।

(ख) अनुलग्नक V में,

(i) पैरा 2 में, शब्दों "वित्तीय वर्ष का अंत जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है" के स्थान पर, शब्द और आंकड़े "वित्तीय वर्ष की शुरुआत जिसके लिए मैं नियत तारीख से पहले अनुबंध VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापसी करने का विकल्प चुनता हूं", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परिशिष्ट के नोट में, शब्द, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है " के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुबंध V के बाद, निम्नलिखित अनुबंध डाला जाएगा, अर्थात्: -

[फा. सं. सीबीआईसी- 190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

"अनुलग्नक VI

प्रपत्र

किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापस लौटने का इरादा रखने वाली माल परिवहन एजेंसी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र।

संदर्भ संख्या -

तारीख: -

1. मैं/हम _____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स..... का अधिकृत प्रतिनिधि वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अनुलग्नक V (दिनांक _____) को भरकर, हमारे द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज मकैनैज्म के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था। ;
2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वित्तीय वर्ष के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र पर वापस लौटना चाहता हूं;
3. मैं समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद इसे एक वर्ष के भीतर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह विकल्प उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है।

कानूनी नाम: -

जीएसटीआईएन:-

पैन नंबर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 09 मई, 2023, जिसे सा.का.नि.348 (अ), दिनांक 09 मई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 06/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,

(i) against serial number 3, in column (3), in item (ie), following explanation shall be inserted, namely:-

“*Explanation.* –This item refers to sub-items of the item (iv), (v) and (vi), against serial number 3 of the Table as they existed in the notification prior to their omission *vide* notification No. 03/2022-Central Tax (Rate) dated the 13th July, 2022.”;

(ii) against serial number 9, in column (3), in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), -

(a) for the words, figures and letters “on or before the 15th March of the preceding Financial Year”, the words, figures and letters “on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;

(b) after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.”;

(iii) against serial number 24, in column (3), in item (i), in the *Explanation*, in clause (i), sub-clause (h) shall be omitted.

(B) in Annexure V,

(i) in para 2, for the words “end of the financial year for which it is exercised”, the words and figures “the start of the financial year for which I exercise option to revert under reverse charge mechanism by filing Annexure VI on or before the due date” shall be substituted;

(ii) in note to the Annexure, for the words, figures and letters “The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year”, the words, figures and letters “The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;

(C) after Annexure V, the following Annexure shall be inserted, namely:-

[F. No. –CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

“Annexure VI

FORM

Form for exercising option by a Goods Transport Agency intending to revert under reverse charge mechanism to be filed before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We_____ (name of Person), authorized representative of M/s..... had exercised option to pay GST on the services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during, the financial year.....under forward charge by filing Annexure V on;
2. I hereby declare that I want to revert to reverse charge mechanism for Financial Year.....;
3. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorized representative:

Name Authorized Signatory :

Full Address of GTA:

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year”.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2023.

Note : The principal notification number 11/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 05/2023-Central Tax (Rate), dated the 9th May, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 348(E), dated the 9th May, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 06/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 538(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून,

2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, आइटम (ie) में, कॉलम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात्: -

"व्याख्या -यह मद तालिका के क्रम संख्या 3 के विरुद्ध मद (iv), (v) और (vi) के उन उप-मदों को वैसे संदर्भित करता है जैसे अधिसूचना संख्या 03/2022- एकीकृत कर (दर) दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से निरस्त होने से पहले अधिसूचना में मौजूद थे।";

(ii) क्रम संख्या 9 के सामने, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, कॉलम (5) के अंतर्गत प्रविष्टियों में, शर्त (2) में, -

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों " उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक", के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) चौथे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते यह भी कि जीटीए द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया विकल्प अगले और भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि जीटीए अनुबंध VI में रिवर्स चार्ज मकैनैज्म के तहत वापसी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है।";

(iii) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण के खंड (i) में उप-खंड (ज) को हटा दिया जाएगा।

(ख) अनुलग्नक V में,

(i) पैरा 2 में, शब्दों "वित्तीय वर्ष का अंत जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है" के स्थान पर, शब्द और आंकड़े "वित्तीय वर्ष की शुरुआत जिसके लिए मैं नियत तारीख से पहले अनुबंध VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापसी करने का विकल्प चुनता हूं", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परिशिष्ट के नोट में, शब्द, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है " के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुबंध V के बाद, निम्नलिखित अनुबंध डाला जाएगा, अर्थात्: -

[फा सं. सीबीआईसी 190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

"अनुलग्नक VI"

प्रपत्र

किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापस लौटने का इरादा रखने वाली माल परिवहन एजेंसी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र।

संदर्भ संख्या –

तारीख: -

1. मैं/हम _____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स..... का अधिकृत प्रतिनिधि वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अनुलग्नक V (दिनांक _____) को भरकर, हमारे द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था। ;
2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वित्तीय वर्ष.....के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र पर वापस लौटना चाहता हूँ;
3. मैं समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद इसे एक वर्ष के भीतर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह विकल्प उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है।

कानूनी नाम: -

जीएसटीआईएन:-

पैन नंबर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 09 मई, 2023, सा.का.नि. 349 (अ), दिनांक 09 मई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 06/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,-

- (i) against serial number 3, in column (3), in item (ie), following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. —This item refers to sub-items of the item (iv), (v) and (vi), against serial number 3 of the Table as they existed in the notification prior to their omission vide notification No. 03/2022-Integrated Tax (Rate) dated 13th July, 2022.”;

- (ii) against serial number 9, in column (3), in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2),-

(a) for the words, figures and letters “on or before the 15th March of the preceding Financial Year”, the words, figures and letter “on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;

(b) after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.”;

(iii) against serial number 24, in column (3), in item (i), in the Explanation, in clause (i), sub-clause (h) shall be omitted;

(B) in Annexure V, -

(i) in para 2, for the words “end of the financial year for which it is exercised”, the words and figures “the start of the financial year for which I exercise option to revert under reverse charge mechanism by filing Annexure VI on or before the due date” shall be substituted;

(ii) in note to the Annexure, for the words, figures and letters “The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year”, the words, figures and letters “The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;

(C) after Annexure V, the following Annexure shall be inserted, namely:-

[F. No. -CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

“Annexure VI

FORM

Form for exercising option by a Goods Transport Agency intending to revert under reverse charge mechanism to be filed before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We _____ (name of Person), authorized representative of M/s..... had exercised option to pay GST on the services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during, the financial year.....under forward charge by filing Annexure V on;
2. I hereby declare that I want to revert to reverse charge mechanism for Financial Year.....;
3. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorized representative:

Name Authorized Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year”.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

Note : The principal notification number 08/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 05/2023-Integrated Tax (Rate), dated the 9th May, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 349(E), dated the 9th May, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 06/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 539(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv), (v) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, कॉलम (3) में, आइटम (ie) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात्: -

"व्याख्या -यह मद तालिका के क्रम संख्या 3 के विरुद्ध मद (iv), (v) और (vi) के उन उप-मदों को वैसे संदर्भित करता है जैसे अधिसूचना संख्या 03/2022- संघ राज्य कर (दर) दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से निरस्त होने से पहले अधिसूचना में मौजूद थे।";

(ii) क्रम संख्या 9 के सामने, मद (iii) में, उप-मद (ख) में, कॉलम (5) के अंतर्गत प्रविष्टियों में, शर्त (2) में, -

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों " उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक", के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) चौथे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते यह भी कि जीटीए द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया विकल्प अगले और भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए प्रयोग किया गया माना जाएगा जब तक कि जीटीए अनुबंध VI में रिवर्स चार्ज मकैनैज्म के तहत वापसी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक घोषणा दाखिल नहीं करता है।";

(iii) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (3) में, मद (i) में, स्पष्टीकरण के खंड (i) में उप-खंड (ज) को हटा दिया जाएगा।

(ख) अनुलग्नक V में,

(i) पैरा 2 में, शब्दों "वित्तीय वर्ष का अंत जिसके लिए यह प्रयोग किया जाता है" के स्थान पर, शब्द और आंकड़े "वित्तीय वर्ष की शुरुआत जिसके लिए मैं नियत तारीख से पहले अनुबंध VI दाखिल करके रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापसी करने का विकल्प चुनता हूं", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) परिशिष्ट के नोट में, शब्द, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है " के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर " किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुबंध V के बाद, निम्नलिखित अनुबंध डाला जाएगा, अर्थात्: -

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

“अनुलग्नक VI**प्रपत्र**

किसी भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत वापस लौटने का इरादा रखने वाली माल परिवहन एजेंसी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र।

संदर्भ संख्या –

तारीख: -

1. मैं/हम _____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स..... का अधिकृत प्रतिनिधि वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अनुलग्नक V (दिनांक _____) को भरकर, हमारे द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया था।;
2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वित्तीय वर्ष के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र पर वापस लौटना चाहता हूं;
3. मैं समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग करने के बाद इसे एक वर्ष के भीतर बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह विकल्प उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहेगा जिसके लिए इसे प्रयोग किया गया है।

कानूनी नाम: -

जीएसटीआईएन:-

पैन नंबर

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरण की दिनांकित पावती)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाएगा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 09 मई, 2023, सा.का.नि. 350 (अ), दिनांक 09 मई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 06/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,

(i) against serial number 3, in column (3), in item (ie), following explanation shall be inserted, namely:-

“*Explanation.* –This item refers to sub-items of the item (iv), (v) and (vi), against serial number 3 of the Table as they existed in the notification prior to their omission vide notification No. 03/2022-Union Tax (Rate) dated.13th July,2022”;

(ii) against serial number 9, in column (3), in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), -

(a)for the words, figures and letters “on or before the 15th March of the preceding Financial Year”, the words, figures and letters “on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;

(b)after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option exercised by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years unless the GTA files a declaration in Annexure VI to revert under reverse charge mechanism on or after the 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.”;

(iii) against serial number 24, in column (3), in item (i), in the *Explanation*, in clause(i) , sub-clause(h) shall be omitted.

(B) in Annexure V,

(i) in para 2, for the words “end of the financial year for which it is exercised”, the words and figures “the start of the financial year for which I exercise option to revert under reverse charge mechanism by filing Annexure VI on or before the due date” shall be substituted;

(ii) in note to the Annexure, for the words, figures and letters “The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year”, the words, figures and letters “The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year” shall be substituted;

(C) after Annexure V, the following Annexure shall be inserted, namely:-

[F. No._CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

“Annexure VI

FORM

Form for exercising option by a Goods Transport Agency intending to revert under reverse charge mechanism to be filed before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We_____ (name of Person), authorized representative of M/s..... had exercised option to pay GST on the services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during, the financial year.....under forward charge by filing Annexure V on;
2. I hereby declare that I want to revert to reverse charge mechanism for Financial Year.....;
3. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorized representative:

Name Authorized Signatory :

Full Address of GTA:

(Dated Acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The above option for any Financial Year shall be exercised on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year”.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

Note : The principal notification number 11/2017 -Union Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 05/2023-Union Tax (Rate), dated the 9th May, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 350(E), dated the 9th May, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 07/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 691 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम सं. 19ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)
“सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवाएं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/133/2023 टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017 -केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2023- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, सा.का.नि 141 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 07/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 19C, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted: -

(3)
“Satellite launch services.”

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2023.

[F. No. -CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 01/2023 - Central Tax (Rate), dated the 28th February, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 141(E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 07/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 541(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 20ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)
“सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवाएं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 07/2023-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 541(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 20C, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted: -

(3)
“Satellite launch services.”.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2023.

[F. No. -CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 9/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 01/2023 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th February, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 143 (E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 07/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 542(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के उपवाक्य (iv) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम सं. 19ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)
“सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवाएं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2023-संघ राज्य कर (दर), 28 फरवरी, 2023, सा.का.नि. 145(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 07/2023-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 542(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, against serial number 19C, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted: -

(3)
“Satellite launch services.”

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2023.

[F. No. CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 01/2023 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th February, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 145(E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 08/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 543(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा:-

प्रधान अधिसूचना में, अनुबंध III में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “मैंने/हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।” के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों “मैंने/हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष _____ से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी 190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2023-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, सा.का.नि. 142(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 08/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 543(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the notification, in Annexure III, for the words and figures “during the Financial Year ____ under forward charge”, the words and figures “from the Financial Year ____ under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2023.

[F. No.-CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 13/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 02/2023 -Central Tax (Rate), dated the 28th February, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 142(E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 08/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 544(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

प्रधान अधिसूचना में, अनुबंध III में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “मैंने/हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष ____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।” के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों “मैंने/हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष ____ से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, सा.का.नि. 144 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 08/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the notification, in Annexure III, for the words and figures “during the Financial Year ____ under forward charge”, the words and figures “from the Financial Year ____ under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

[F. No. –CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 10/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 02/2023-Integrated Tax (Rate), dated the 27th February, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 144(E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सं. 08/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 545(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

प्रधान अधिसूचना में, अनुबंध III में, शब्दों, अंकों और अक्षरों “मैंने/हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष ____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।” के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों “मैंने/हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष ____ से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/133/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, सा.का.नि. 146 (अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

No. 08/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the notification, in Annexure III, for the words and figures “during the Financial Year ____ under forward charge”, the words and figures “from the Financial Year ____ under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism ” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

[F. No._CBIC-190354/133/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification no. 13/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 704 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 02/2023 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th February, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 146(E), dated the 28th February, 2023.